न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 21/2022

अशवनी कुमार उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री बुधराम, जाति जांगिड, निवासी ग्राम माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं हाल निवासी रेल्वे फाटक के पास वार्ड नं0 17, सांगरिया, जिला हनुमानगढ ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार झुंझुनूं जरिये भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार।
2. सुल्तान उम्र 75 वर्ष
3. महेन्द्र कुमार उम्र 65 वर्ष
4. भागीरथ उम्र 60 वर्ष

   पुत्रगण खूबचन्द, जातिगण जांगिड, निवासी ग्राम माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी रेल्वे फाटक के पास वार्ड नं0 17 सांगरिया, जिला हनुमानगढ (राज0)
5. शंकुतला देवी उम्र 68 वर्ष पत्नी स्व0 श्री रामनिवास, निवासी माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी रेल्वे फाटक के पास वार्ड नं0 17 सांगरिया, जिला हनुमानगढ (राज0)
6. सजनी उम्र 6 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामनिवास, निवासी माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी पत्नी बनवारी लाल, निवासी ग्राम पाटोदा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
7. घासीराम उम्र 50 पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, निवासी ग्राम माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी रेल्वे फाटक के पास वार्ड नं0 17 सांगरिया, जिला हनुमानगढ।
8. रामानन्द उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, निवासी ग्राम माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी रेल्वे फाटक के पास वार्ड नं0 21 सांगरिया, जिला हनुमानगढ (राज0)
9. राजेन्द्र उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, निवासी ग्राम माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी रेल्वे फाटक के पास वार्ड नं0 21 सांगरिया, जिला हनुमानगढ (राज0)
10. मुकेश उम्र 40 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामनिवास, निवासी ग्राम माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी पत्नी बाबूलाल, निवासी निजामपुर मोड, राजोता, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
11. अरमान उम्र 35 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामनिवास, निवासी ग्राम माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी पत्नी रामचन्द्र, निवासी निजामपुर मोड, राजोता, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
12. सुमन उम्र 33 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामनिवास, निवासी ग्राम माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी पत्नी महेन्द्र कुमार, निवासी दूलचास, तहसील मलसीसर, उपतहसील बिसाउ, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम [illegible] विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 18.09.1998 तहसीलदार झुंझुनूं।

1. श्री रामसिंह छापूनियां, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सन्दीप सैनी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2, 5 लगायत 12 की ओर से उपस्थित।
3. श्री धनराज रैगर, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 की आरे से उपस्थित।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश

दिनांक 22.06.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 18.09.1998 वाके ग्राम माखर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि राजस्व ग्राम माखर पटवार हल्का माखर में भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 0.03 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.27 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 1.2700 हैक्टर और भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल रकबा 4.0600 हैक्टर भूमि आवेदक एवं प्रत्यार्थीगण संख्या 2 लगायत 11 के खातेदारी पैत्रिक सम्पति है। ग्राम माखर में चंदरू पुत्र बिंजा, जाति जांगिड हुआ है जिसके तीन पुत्र संतान खूबचन्द, गौरी शंकर एवं मातुराम हुये जिन्हे चंदरू के वारिसान होने के कारण भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 0.03 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.27 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 1.2700 हैक्टर और भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल रकबा 4.0600 हैक्टर उक्त विवादित भूमि में क्रमश 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा खूबचन्द, गौरी शंकर एवं मातुराम को प्राप्त हुआ। चंदरू के बडे पुत्र खूबचन्द 1/3 हिस्सेदार के पांच पुत्र संतान हुये। जिनकी सजरा वंशावली निम्नानुसार है :–

खूबचन्द											
रामनिवास (फौत)								सुलतान	बुधराम (फौत)	महेन्द्र कुमार	भागीरथ
शंकुतला देवी (पत्नी)	सजनी (पुत्री)	घासीराम (पुत्र)	रामानन्द (पुत्र)	राजेन्द्र (पुत्र)	मुकेश (पुत्री)	अरमान (पुत्री)	सुमन (पुत्री)		अशवनी कुमार (पुत्र)		

खूबचन्द को विरासतन नामान्तरणकरण के जरिये अपने पिता की पैत्रिक सम्पति में 1/3 हिस्से की भूमि काश्त हेतु प्राप्त हुई इस प्रकार खूबचन्द के पॉच पुत्र संतान वारिसान होने के कारण उसकी भूमि का उक्त वारिसान में 1/15, 1/15 हिस्सा होना न्यायसम्पत था। लेकिन खूबचन्द के अपने जीवनकाल के दौरान ही उसके तीसरे पुत्र बुधराम जो अपीलार्थी के पिता है जिसका देहान्त दिनांक 22.09.1971 को हो गया जिसकी उम्र अपने पिता की मृत्यु के समय करीबन 1 वर्ष थी। जिसका लालन पालन आगे चलकर अपीलार्थी के दादा खूबचन्द ने किया उक्त भूमि में अपीलार्थी 1/15 हिस्सा प्राप्त करने का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने का विधिसम्मत अधिकारी है। खूबचन्द जो अपीलार्थी का दादा है जो उक्त विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा हिस्सेदार था का देहान्त दिनांक 17.08.1998 करीब अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के करीब 17 वर्ष बाद अपीलार्थी के निवास स्थान सांगरिया वार्ड नं0 17 हनुमानगढ राजस्थान में हुआ। इस प्रकार खूबचन्द की 1/3 हिस्से की भूमि का हिन्दी उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हिस्से का बंटवारा उनके चार जीवित पुत्र एवं मृत पुत्र बुधराम के पुत्र अशवनी कुमार अपीलार्थी को क्रमशः 1/15, 1/15 हिस्से का होना था। जो त्रुटि पूर्ण रूप से खूबचन्द के चार पुत्र रामनिवास सुलतान, भागीरथ तथा महेन्द्र कुमार को जरिये विरासतन नामान्तरकरण संख्या 584 के द्वारा तहसीलदार झुझुनू ने दिनांक 18.09.1998 क्रमश 1/12, 1/12 हिस्से का नामन्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। जो विधिक दृष्टि त्रुटि से पूर्ण है जिससे अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी संख्या 2 लगायत 9 तथा 10 लगायत 12 के मध्य को सजरा वंशावली के आधार पर 1/15, 1/15 हिस्सा किया जाना न्यायोचित है तथा उक्त नामान्तरणकरण संख्या 584 दिनांक 18.09.1998 को तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिस नही दिया गया है। अपीलार्थी अपनी कब्जेशुदा भूमि को लगातार काश्त एवं काबिज है। अपीलार्थी अपनी जायज जरूरतो के [illegible] कब्जे काश्त की भूमि पर भूमि ऋण लेने के लिए अपनी भूमि की जमाबन्दी निकलवाने [illegible] पटवारी के पास गया तब अपीलार्थी को इस बात का ज्ञान हुआ कि प्रार्थी को [illegible] विवादित भूमि [illegible] हिस्सा प्राप्त नही हुआ है। जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का उल्लंघन [illegible] भूमि में 1/15 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलान्ट [illegible] कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 107 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 0.03 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.27 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 1.2700 हैक्टर और भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल रकबा 4.0600 हैक्टर सरहद मौजा राजस्व ग्राम माखर, पटवार हल्का माखर, तहसील झुंझुनूं में से अपीलार्थी का 1/15 हिस्सा तहसीलदार झुंझुनूं को यह आदेश फरमाया जावे कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम माखर में खूबचन्द के विधिक वारिसान 1/12 हिस्से की जगह 1/15 हिस्सा दर्ज कर अपीलार्थी को उसका 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज का आदेश फरमावे तथा उक्त विधिक दृष्टि से त्रृटि पूर्ण नामान्तरण संख्या 584 दिनांक 18.09.1998 को रद्द कर पुनः खूबचन्द के वारिसान के नाम नया नामान्तरण दर्ज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के अनुसार अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि राजस्व ग्राम माखर पटवार हल्का माखर में भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 0.03 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.27 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 1.2700 हैक्टर और भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल रकबा 4.0600 हैक्टर भूमि आवेदक एवं प्रत्यार्थीगण संख्या 2 लगायत 11 के खातेदारी पैत्रिक सम्पति है। ग्राम माखर में चंदरू पुत्र बिंजा, जाति जांगिड हुआ है जिसके तीन पुत्र संतान खूबचन्द, गौरी शंकर एवं मातुराम हुये जिन्हे चंदरू के वारिसान होने के कारण भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 0.03 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.27 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 1.2700 हैक्टर और भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल रकबा 4.0600 हैक्टर उक्त विवादित भूमि में क्रमश 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा खूबचन्द, गौरी शंकर एवं मातुराम को प्राप्त हुआ। चंदरू के बडे पुत्र खूबचन्द 1/3 हिस्सेदार के पांच पुत्र संतान हुये। जिनकी सजरा वंशावली निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><td colspan="12">खूबचन्द</td></tr>
<tr><td colspan="8" rowspan="1">रामनिवास (फौत)</td><td rowspan="2">सुलतान</td><td>बुधराम
(फौत)</td><td rowspan="2">महेन्द्र कुमार</td><td rowspan="2">भागीरथ</td></tr>
<tr><td>शंकुतला देवी
(पत्नी)</td><td>सजनी
(पुत्री)</td><td>घासीराम
(पुत्र)</td><td>रामानन्द
(पुत्र)</td><td>राजेन्द्र
(पुत्र)</td><td>मुकेश
(पुत्री)</td><td>अरमान
(पुत्री)</td><td>सुमन
(पुत्री)</td><td>अशवनी कुमार
(पुत्र)</td></tr>
</table>

खूबचन्द को विरासतन नामान्तरणकरण के जरिये अपने पिता की पैत्रिक सम्पति में 1/3 हिस्से की भूमि काश्त हेतु प्राप्त हुई इस प्रकार खूबचन्द के पॉच पुत्र संतान वारिसान होने के कारण उसकी भूमि का उक्त वारिसान में 1/15, 1/15 हिस्सा होना न्यायसम्पत था। लेकिन खूबचन्द के अपने जीवनकाल के दौरान ही उसके तीसरे पुत्र बुधराम जो अपीलार्थी के पिता है जिसका देहान्त दिनांक 22.09.1971 को हो गया जिसकी उम्र अपने पिता की मृत्यु के समय करीबन 1 वर्ष थी। जिसका लालन पालन आगे चलकर अपीलार्थी के दादा खूबचन्द ने किया उक्त भूमि में अपीलार्थी 1/15 हिस्सा प्राप्त करने का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने का विधिसम्मत अधिकारी है। खूबचन्द जो अपीलार्थी का दादा है जो उक्त विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा हिस्सेदार था का देहान्त दिनांक 17.08.1998 करीब अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के करीब 17 वर्ष बाद अपीलार्थी के निवास स्थान सांगरिया वार्ड नं0 17 हनुमानगढ राजस्थान में हुआ। इस प्रकार खूबचन्द की 1/3 हिस्से की भूमि का हिन्दी उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हिस्से का बंटवारा उनके चार जीवित पुत्र एवं मृत पुत्र बुधराम के पुत्र अशवनी कुमार अपीलार्थी को क्रमशः 1/15, 1/15 हिस्से का होना था। जो त्रुटि पूर्ण रूप से खूबचन्द के चार पुत्र रामनिवास सुलतान, भागीरथ तथा महेन्द्र कुमार को जरिये विरासतन नामान्तरकरण संख्या 584 के द्वारा तहसीलदार झुझुनू ने दिनांक 18.09.1998 क्रमश 1/12, 1/12 हिस्से का नामन्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। जो विधिक दृष्टि त्रुटि से पूर्ण है जिससे अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी संख्या 2 लगायत 9 तथा 10 लगायत 12 के मध्य को सजरा वंशावली के आधार पर 1/15, 1/15 हिस्सा किया जाना न्यायोचित है तथा उक्त नामान्तरणकरण संख्या 584 दिनांक 18.09.1998 को तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिस नही दिया गया है। अपीलार्थी आज ... दादा भूमि को लगातार काश्त एवं काबिज है। अपीलार्थी अपनी जायज जरूरतों के लिए अपने ... की भूमि पर भूमि ऋण लेने के लिए अपनी भूमि की जमाबन्दी निकलवाने के लिये पटवारी के पास गया तब अपीलार्थी को इस बात का ज्ञान हुआ कि प्रार्थी को उक्त विवादित ... हुआ है। जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का उल्लंघन है तथा अपीलार्थी उक्त विवादित भूमि में 1/15 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 107 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 0.03 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.27 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 1.2700 हैक्टर और भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल रकबा 4.0600 हैक्टर सरहद मौजा राजस्व ग्राम माखर, पटवार हल्का माखर, तहसील झुंझुनूं में से अपीलार्थी का 1/15 हिस्सा तहसीलदार झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested

को यह आदेश फरमाया जावे कि नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम माखर में खूबचन्द के विधिक वारिसान 1/12 हिस्से की जगह 1/15 हिस्सा दर्ज कर अपीलार्थी को उसका 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज का आदेश फरमावे तथा उक्त विधिक दृष्टि से त्रृटि पूर्ण नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 18.09.1998 को रद्द कर पुनः खूबचन्द के वारिसान के नाम नया नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2, 5 लगायत 12 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अश्वनी अनजान व्यक्ति है। निर्वाचक नामावली मे इसका नाम गोपीराम है। अपीलान्ट की यह अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। अपीलान्ट खारिज किये गये नामान्तरकरण की अपील लेकर आयें है। अपीलान्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं मे रिकार्ड दुरूस्ति का दावा प्रस्तुत करना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का समर्थन कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवदेन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट किस रूप मे वारिसान है, साबित करे। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि स्व0 खूबचन्द के पॉच पुत्र संतान वारिसान होने के कारण उसकी भूमि का उक्त वारिसान में 1/15, 1/15 हिस्सा होना न्याय संगत था। लेकिन खूबचन्द के अपने जीवनकाल के दौरान ही उसके तीसरे पुत्र बुधराम जो अपीलार्थी के पिता है जिसका देहान्त दिनांक 22.09.1971 को हो गया जिसकी उम्र अपने पिता की मृत्यु के समय करीबन 1 वर्ष थी। जिसका लालन पालन आगे चलकर अपीलार्थी के दादा खूबचन्द ने किया उक्त भूमि में अपीलार्थी 1/15 हिस्सा प्राप्त करने का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने का विधिसम्मत अधिकारी है। खूबचन्द जो अपीलार्थी का दादा है जो उक्त विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा हिस्सेदार था का देहान्त दिनांक 17.08.1998 करीब अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के करीब 17 वर्ष बाद अपीलार्थी के निवास स्थान सांगरिया वार्ड नं0 17 हनुमानगढ राजस्थान में हुआ। इस प्रकार खूबचन्द की 1/3 हिस्से की भूमि का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हिस्से का बंटवारा उनके चार जीवित पुत्र एवं मृत पुत्र बुधराम के पुत्र अशवनी कुमार अपीलार्थी को क्रमशः 1/15, 1/15 हिस्से का होना था। जो त्रुटि पूर्ण रूप से खूबचन्द के चार पुत्र रामनिवास सुलतान, भागीरथ तथा महेन्द्र कुमार को जरिये विरासतन नामान्तरकरण संख्या 584 के द्वारा तहसीलदार झुंझुनूं ने दिनांक 18.09.1998 क्रमश 1/12, 1/12 हिस्से का नामन्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी संख्या 2 लगायत 9 तथा 10 लगायत 12 के मध्य को सजरा वंशावली के आधार पर 1/15, 1/15 हिस्सा किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वारिसान की समुचित जांच कर उभय पक्षकरान् को समुचित रूप से सुना जाकर पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जावे। रिकार्ड अदालत मातहत आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:45 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं